

श्री करमरकर : वह मैं नहीं बतला सकता, उसके लिए सूचना की जरूरत है ।

Shri N. L. Joshi: May I know how much *gur* was exported from India in the year 1954-55?

Shri Karmarkar: In 1954-55, from April to December, the quantity that was sent out was, I think, 430 tons.

अफगान औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल

*१२४७. श्री भागवत झा आजाब : क्या खाणजब तथा उद्योग मंत्री ७ मार्च, १९५५ को दिये गये तारीकित प्रश्न संख्या ६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगान औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल ने, जो अभी भारत में आया था, भारत सरकार से अफगानिस्तान के कपड़ा, हाथ-करघा, तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सहायता मांगी है ;

(ख) क्या अफगानिस्तान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई लिखित प्रस्ताव भेजा है , और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार उस पर विचार कर रही है ?

खाणजब तथा उद्योग उचमकी (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

श्री भागवत झा आजाब : क्या भारत सरकार निकट भविष्य में कोई ऐसा एक औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री कानूनगो : ऐसा प्रस्ताव यदि आया तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री भागवत झा आजाब : क्या अफगानिस्तान में हमारा कोई ऐसा एम्प्रीरियम है, जिसमें इमारत हाथ से बनाये गये कपड़े तथा कुटीर

उद्योगों द्वारा तैयार किये गये सामानों का वहां पर प्रदर्शन किया जाता हो ?

श्री कानूनगो : जी नहीं ।

DOCUMENTARY FILMS

*1250. Chaudhri Muhammed Shafee: Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) the number of documentaries produced by Government and private producers respectively during 1954;

(b) the cost in each case; and

(c) the procedure adopted for assigning subjects to private producers?

The Minister of Information and Broadcasting (Dr. Keskar): (a) 33 documentaries were produced by the Films Division and six were purchased from private producers.

(b) As indicated in the reply to Unstarred Question No. 363 on 25th November, 1954, direct and indirect expenses are incurred on the production of documentaries by the Films Division. In the absence of regular cost accounting, it would be difficult to state with any precision what the total expenses of any documentary are.

The rates, at which payment is made to private producers, vary between Rs. 10 and Rs. 20 per foot.

(c) A committee has been appointed to prepare a panel of approved private producers, as recommended by the Estimates Committee. Quotations will be invited from producers in this panel before contracts are placed for production of films. For the current year, pending preparation of the panel, producers have been selected who would in any case be included in the panel.

श्री एस० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि डाकुमेंटरी फिल्मस तैयार करने के लिये जो विषय चुने जाते हैं उन को चुनने का क्या तरीका है ? इस के लिये कोई विशेषज्ञों की समिति है या सरकार चुनती है ?

डा० केशकर : विषयों के बारे में जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं वह सोचती हैं और जो विषय वह बताती हैं वही विषय डाकुमेंटरीज के लिये चुन लिये जाते हैं। एस्टिमेट्स कमिटी की सलाह है कि इस के लिये कोई समिति बननी चाहिये और इस विषय पर विचार हो रहा है तथा उस पर जल्दी ही निश्चय होगा।

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know the difference in cost between a private-produced documentary and Government-produced documentary? That is to say, what is the percentage of the difference in the cost?

Dr. Keskar: It is very difficult to say. We can certainly find out the average cost, but subjects differ so much and so widely that there might be a subject which would require travelling all over the country, and the cost of such a documentary will be very high, while there might be a subject which can be very easily dealt with, and the cost of such a documentary will be low. The cost of a documentary given to a private producer is fixed according to what he is expected to cover.

खाद्यान्नों में बायदा बाजार

***१२५२. सेंट गोविन्द दास :** क्या बाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों, गेहूँ और धीनी में बायदा बाजार पर रोक लगाने का है ?

बाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : गेहूँ, चना और धीनी के बायदा बाजार पर इस समय रोक लगी हुई है।

सेंट गोविन्द दास : जो शेष चीजें हैं उन के ऊपर भी कोई रोक लगाने का सरकार का इरादा है ?

श्री करमरकर : जब जरूरत होती है तब ऐसा इरादा किया जाता है। अभी कोई इरादा नहीं है। हमारे यहाँ फार्वर्ड मार्केट्स कमिशन हैं। इन सब चीजों पर विचार करना उस का काम है।

सेंट गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी यह बात जानते हैं कि ठीक समय पर ही इन चीजों पर रोक लगाई जाती है और पहले से इस विषय में कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, इस लिये जब बाजारों में उतार चढ़ाव हो जाता है उस के बाद रोक लगाने से कोई लाभ नहीं होता ?

श्री करमरकर : जब बाजार में उतार चढ़ाव हो जाता है तभी रोक लगाना होता है। जब बाजार में कोई अनबैलेंस होता है उस वक्त हम सोचते हैं और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उस को रोकते हैं।

सेंट गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था, जैसा कि मैं ने कहा भी, कि यह रोक इतनी दूर से लगाई जाती है कि उस से कोई फायदा नहीं होता इस लिये क्या सरकार इस बात का विचार कर रही है कि इस प्रकार की वस्तुओं पर पहले से ही रोक लगाई जाय जिस से बाजारों का भाव इतना चढ़-उतर नहीं जितना कि इस समय उतरता-चढ़ता है।

श्री करमरकर : हम तो ठीक समय पर ही लगाते हैं, ये जल्दी होती हैं या दूर से, यह तो राय की बात है। हमारी राय में जो कुछ हम करते आये हैं वह साधारणतः ठीक ही होता है।

अध्यक्ष महोदय : उनका सुभाव यह है कि हमेशा के लिये रोक होनी चाहिये।

श्री करमरकर : हम हाउस के सामने कोई ऐसी पालिसी नहीं रख सकते हैं कि यह हमेशा के लिये हो। जिस वक्त प्राइसेज ऊपर उठेंगी, उस वक्त जितनी दूर के लिये जरूरी होगा उतनी दूर तक रहेगी।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं जान सकता हूँ कि खाने की चीजों पर ही रोक रखी जाती है या ऐसे पदार्थों पर भी रोक रखी जाती है जो खाने की नहीं हैं ?

श्री करमरकर : खाने की चीजें तो मुख्य होती हैं पर और भी जो चीजें हमारे सामने आती हैं जिन पर सामाजिक रूप से रोक रखना